न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 86 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. लालाराम पुत्र मगाराम जाति घांची निवासी बिलाड़िया गेट के बाहर, पूर्णेश्वर आश्रम रोड, सोजत सिटी तहसील सोजत		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली
2. तेजाराम पुत्र मगाराम जाति घांची निवासी बिलाड़िया गेट के बाहर पूर्णेश्वर आश्रम रोड, सोजत सिटी तहसील सोजत		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेमसिंह टांक अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक – 29/08/2024

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में ख0नं0 1215, 1216, 1241, 1242, 601 से 605, 605 / 6267, 606 से 611, 611 / 6268, 612 से 648, 651 से 653, 655, 656, 658 से 668, 676 से 688 कुल खसरा 82 कुल रकबा 37.0100 है0 की आयी हुई स्थित हैं। उक्त वर्णित खसरा भूमि में वादी 1 व 2 का 1/55–1/55 वां हिस्सा स्थित हैं। जिसमें वादी का नाम लाला पुत्र मांगीया दर्ज है व वादी सं0 2 का तेजा पुत्र मांगीया दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त अन्य खसरा भूमि ख.नं0 1213, 1214 में वादी 1 व 2 का नाम लाल पुत्र मांगीया व तेजा पुत्र मांगीया दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त ख.नं. 2243, 2244 में वादीगण के पिता का नाम मांगीलाल पुत्र गणेशराम दर्ज हैं। वादग्रस्थ कृषि भूमि में वादीगण के पिता का नाम मांगीया दर्ज कर दिया गया। जबकि मतदाता सूची, पहचान पत्र, पेन कार्ड में वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मगाराम हैं। वादीगण के पिता का देहान्त दिनांक 28.08.1990 हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम मगाराम पुत्र गणेशराम दर्ज हैं। इसी प्रकार अन्य खसरा नंबर 2242, 2245 से 2247 व 2252 की जमाबंदी में तेजा, लाला पिसरान मगाराम दर्ज हैं। हम वादीगण राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त नाम करवाना चाहते है, जिससे की सरकारी योजनाओं व अन्य लोन इत्यादि में उचित लाभ मिल सके। इस प्रकार विरूद्ध प्रतिवादी दावा पेश कर वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम तेजा पुत्र मांगीया व लाला पुत्र मांगीया के स्थान पर तेजा पुत्र मगाराम व लाला पुत्र मगाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 1 स्वीकार कर अन्य पैराज स्वयं सिद्ध करना व कानूनी होना अंकित कर पेश किया, सा0मि0 हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम तेजा पुत्र मांगीया व लाल पुत्र मांगीया को दुरूस्त कर तेजाराम पुत्र मगाराम व लालाराम पुत्र मगाराम इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, जवाब दावा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी व तहसीलदार सोजत पर गौर व मनन किया। वस्तुत प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का अशुद्ध नाम इन्द्राज होना स्पष्ट होता हैं। जिससे राजस्व रेकर्ड में सम्मानजनक नाम तेजाराम पुत्र मगाराम व लालाराम पुत्र मगाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं। प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य मे भी वादीगण के पिता का नाम मगाराम दर्ज हैं, जिससे राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता की वल्दियत भी दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत में ख0नं0 1215, 1216, 1241, 1242, 601 से 605, 605/6267, 606 से 611, 611/6268, 612 से 648, 651 से 653, 655, 656, 658 से 668, 676 से 688 कुल खसरा 82 कुल रकबा 37.0100 है0 इसके अतिरिक्त अन्य खसरा भूमि ख.नं0 1213, 1214, 2242, 2245 से 2247 व 2252 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्मानजनक नाम तेजाराम पुत्र मगाराम व लालाराम पुत्र मगाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें । शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली